न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी :: विधिका आर्य, आर0जे0एस0
नम्बरी फौजदारी :: 605/2021
सी.आई.एस. नंबर :: 613/2021
सी.एन.आर. संख्या :: **RJHG120011692021**

राजपाल पुत्र लेखराम, निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——परिवादी

बनाम्

रामकुमार पुत्र लालचन्द, निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थिति:

1. विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम कस्वां, परिवादी की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री दुलीचन्द अठवाल, अभियुक्त की ओर से।

– :: निर्णय :: – **दिनांकः 08–07–2026**

1. यह परिवाद परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने परिवादी से ब्याज पर उधार लिये गए ऋण की अदायगी बाबत् दिनांक 09.03.2020 को एक चैक नं. 000007 राशि 4,70,000/– रुपये एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा रावतसर भुगतान हेतु दिया। अभियुक्त द्वारा जारी चैक परिवादी द्वारा भुगतान प्राप्ति हेतु अपने बैंक एक्सिस बैंक, शाखा रावतसर में दिनांक 21.03.2020 को प्रस्तुत करने पर अभियुक्त द्वारा जारी चैक अभियुक्त की बैंक द्वारा Account Dormant के आधार पर अनादरित कर दिया। चैक अनादरण के कारण परिवादी चैक राशि प्राप्त करने में विफल रहा है एवं रकम के प्रयोग एवं उपयोग से वंचित हो रहा है। अभियुक्त द्वारा राशि का भुगतान न करने के कारण परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से चैक अनादरण का रजिस्टर्ड नोटिस डाकघर से अभियुक्त के रजिस्टर्ड पते पर दिनांक 15.04.2020 को प्रेषित करवाया, उक्त नोटिस की सूचना अभियुक्त को प्राप्त हो चुकी है। अभियुक्त को चैक अनादरण की जानकारी होने के बावजूद भी अभियुक्त द्वारा परिवादी को कोई चैक राशि अदा नहीं की गयी है। उक्त इस्तगासा परिवादी द्वारा दिनांक 30.06.2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, इत्यादि। परिवाद के समर्थन में साक्ष्य सरसरी में परिवादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया गया। अंत में निवेदन किया कि अभियुक्त को दण्डित किया जावे।

2. उक्त परिवाद पर बहस प्रसंज्ञान सुने जाने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया व अभियुक्त को तलब किया। प्रकरण का विचारण संक्षिप्ततः न किया जाकर सम्मन मामलों के विचारण की प्रक्रियानुसार किया गया है।

3. अभियुक्त के उपस्थित आने पर अभियुक्त को आरोप सारांश मौखिक सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

4. परिवादी ने स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत कर गवाह पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में स्वयं को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये–

प्रदर्श दस्तावेजात्	नाम दस्तावेजात्
प्रदर्श पी–1	असल प्रोमेसरी नोट
प्रदर्श पी–2	उक्त प्रोमसरी नोट की रसीद
प्रदर्श पी–3	असल चैक संख्या 000007
प्रदर्श पी–4	असल चैक रिटर्न मीमो
प्रदर्श पी–5	रजिस्टर्ड नोटिस
प्रदर्श पी–6	असल डाक
प्रदर्श पी–7	असल प्राप्ति रसीद
प्रदर्श पी–8	परिवाद

5. परिवादी पक्ष द्वारा लेखबद्ध करवायी गयी साक्ष्य का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया जिसमें अभियुक्त ने गवाह की साक्ष्य को गलत होना बतलाते हुए विशेषतः कथन किया कि वह निर्दोष है। उसके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। परिवादी गरीब व्यक्तियों को कम पैसे देकर फाइनेंस का काम करके अधिक राशि के चैक लगाकर झूठे मुकदमे करता है।

6. अभियुक्त की ओर से स्वयं को डी.डब्ल्यू. 1 के रूप में एवं डी.डब्ल्यू. 2 के रूप में मोहनलाल को पेश कर परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में लाल डायरी पेश कर प्रदर्शित करवायी जिस पर सहवन से प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 1 डाला गया जो निर्णय में प्रदर्श डी 1 पढ़ा जा रहा है।

प्रदर्श दस्तावेजात्	नाम दस्तावेजात्
प्रदर्श डी1	लाल डायरी

7. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गयी। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस परिवादी अधिवक्ता ने अपने परिवाद एवं प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाते हुए मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किये हैं कि अभियुक्त द्वारा बैंक खाता स्वयं का होना स्वीकार किया है एवं मूल विवादित चैक पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किये है। स्वयं का हस्ताक्षरशुदा चैक अभियुक्त की ओर से जारी करके ही परिवादी के पक्ष में दिया गया है। अभियुक्त द्वारा जो राशि उधार प्राप्त की गई है उसकी अदायगी के एवज में चैक जारी किया गया है। परिवादी की ओर से अपनी आर्थिक हैसियत एवं आय के स्रोत को साबित किया गया है। अभियुक्त की ओर से चैक के दुरुपयोग बाबत् किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिवादी द्वारा अपना परिवाद साक्ष्य से साबित करवाया गया है उसके पश्चात् समस्त भार अभियुक्त पर है, परंतु अभियुक्त की ओर से कोई भी पुखता खण्डन न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। परिवादी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कर प्रदर्शित करवाये गए–

1. Rangappa Vs Sri Mohan 2010 CCC 115 (SC)
2. Uttam Ram vs Devinder Singh Hudan & Anr. Cri. Appeal No. 1545 of 2019

8. वहीं इसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने लिखित बहस प्रस्तुत कर तर्क दिये हैं कि परिवादी फाईनेंस पर रुपये उधार देने का कार्य करता है, अभियुक्त ने परिवादी से 18000 रुपये प्राप्त किये थे, जिनकी 200 रुपये प्रतिदिन किश्त थी, जिसकी

सिक्योरिटी पेटे अभियुक्त ने उक्त चैक जारी करके परिवादी को दिया था, उक्त किश्तों की अदायगी नहीं होने पर परिवादी ने अधिक राशि भरकर उक्त चैक का दुरुपयोग किया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का खण्डन अभियुक्त ने परिवादी से जिरह कर व स्वयं की साक्ष्य से किया है। परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है। अंत में स्वयं को दोषमुक्त किये जाने का निवदेन किया।

9. पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह हैं कि–

1. आया अभियुक्त ने विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु परिवादी को एक चैक संख्या 000007 दिनांकित 09.03.2020 राशि 4,70,000/– रूपये एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा रावतसर का दिया, जिसे परिवादी ने भुगतान प्राप्ति हेतु अपने बैंक में पेश किया जो अभियुक्त के बैंक से Account Dormant के अंकन के साथ बिना भुगतान के परिवादी की बैंक को वापसी ज्ञापन के साथ अनादरित कर लौटा दिया गया, जिस बाबत सूचना प्राप्त होने पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विहित समयावधि में नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक सही पते पर प्रेषित किया तदुपरांत भी अभियुक्त द्वारा विहित समयावधि में परिवादी को चैक राशि का भुगतान नहीं किया जाकर अपराध कारित किया है?

2. यदि उक्त अवधार्य बिन्दु सकारात्मक रूप से साबित होता हैं तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डित किये जाने का पात्र हैं ?

10. प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 को साबित किये जाने हेतु परिवादी को निम्न कारकों को साबित करना आवश्यक हैः–

1. क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या किसी अन्य दायित्व के उन्मोचन के सम्बन्ध में विवादित चैक दिया गया ?

2. क्या हस्तगत मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों की पूर्णतः पालना हुई है?

3. क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया ?

11. उक्त अवधार्य प्रश्नों के सम्बन्ध में न्यायालय का मत निम्न प्रकार से हैः–

बिन्दु संख्या 01– क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या किसी अन्य दायित्व के उन्मोचन के सम्बन्ध में विवादित चैक दिया गया ?

जिसके समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 परिवादी राजपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र दिनांकित 20.03.2023 पेश कर दौराने मुख्य परीक्षण कथन किये हैं कि अभियुक्त ने परिवादी से उधार लिये गए ऋण की अदायगी हेतु परिवादी को दिनांक 09.03.2020 को अपने बैंक एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर का एक चैक संख्या 000007 को 4,70,000/– रुपये की राशि पर स्वयं के हस्ताक्षर कर परिवादी को रावतसर में सौंप दिया। उक्त चैक परिवादी द्वारा अपने बैंक में प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के बैंक द्वारा बिना भुगतान अभियुक्त का Account Dormant होना दर्शित कर बिना भुगतान किये चैक अनादिरत कर परिवादी को लौटा दिया। जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत अभियुक्त के पते पर नोटिस प्रेषित किया। उक्त नोटिस की सूचना

अभियुक्त को प्राप्त हो चुकी है। उक्त नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी अभियुक्त द्वारा परिवादी को भुगतान नहीं किया गया। जिसके समर्थन में परिवादी की ओर से असल प्रोमसरी नोट प्रदर्श पी1, प्रोमेसरी नोट की रसीद प्रदर्श पी2, चैक प्रदर्श पी3, असल चैक रिटर्न मीमो प्रदर्श पी4, रजिस्ट्री नोटिस प्रदर्श पी5, असल डाक रसीद प्रदर्श पी6, असल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी7 व असल परिवाद प्रदर्श पी8 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

12. दौराने प्रतिपरीक्षण उक्त गवाह ने कथन किये कि वह कृषि का कार्य करता है। उसने दिनांक 01.01.2020 को रुपये दिये थे। उक्त रुपये उसने फसल बेचकर प्राप्त किये थे और घर पर दिये थे। उसके हिस्से में आयी हुई भूमि से उसे 15 से 20 लाख रुपये की सालाना आय होती है। प्रदर्श पी1 एवं पी2 उसके घर पर ही सुरेंद्र व रायिसंह ने लिखे थे। लिखे थे। चैक उसे अभियुक्त रामकुमार ने भरकर उसके घर पर दिया था। चैक में तारीख भरकर ही दी थी। यह कहना गलत है कि वह और उसे भाई फाइनेंस का काम करते हों। वह इनकम रिटर्न नहीं भरता है। अभियुक्त रामकुमार उसके गांव का है तथा उसके घर पर उसका आना–जाना है। उसके इस प्रकरण के अलावा अन्य मुकदमे चल रहे हैं।

13. इस प्रकार परिवादी के मुख्य परीक्षण एवं जिरह के अखण्डित बयान से दर्शित होता है कि परिवादी को अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक दिया एवं अभियुक्त का Account Dormant होने के कारण उक्त चैक बैंक से अनादरित होकर वापस परिवादी को प्राप्त हो गया। सम्पूर्ण साक्ष्य में परिवादी मुख्य बिन्दुओं पर किसी भी रूप में विचलित नहीं हुआ है एवं स्वयं की मौखिक साक्ष्य की ताईद दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से करता है।

14. जहां तक अभियुक्त के प्रश्नगत चैक पर हस्ताक्षर का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अभियुक्त ने स्वयं अपनी जिरह में यह कथन किया है कि यह सही है कि चैक प्रदर्श पी 3 उसके खाते हैं और प्रदर्श पी 3 पर ए से बी उसके ही हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 1 प्रोमसरी नोट पर भी ए से बी उसके ही हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार पत्रावली पर आयी साक्ष्य से चैक प्रदर्श पी 3 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना निर्विवादित हैं। ऐसे में, धारा 118 एन.आई. एक्ट में यह उपधारणा ली जाती है कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक प्रदर्श पी 3 प्रतिफलार्थ ही रचा या लिखा गया हो। इसी प्रकार धारा 139 एन.आई. एक्ट के अनुसरण में भी परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा उत्पन्न होती है कि चैक के यथानुक्रम धारक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए प्राप्त किया गया था। परिवादी के पक्ष में उत्पन्न उक्त विधिक उपधारणा खण्डनीय प्रकृति की है, जिसे अभियुक्त परिवादी की प्रतिपरीक्षण या स्वयं द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश कर खण्डित कर सकता है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत **M/S Kalamani Tex Versus P. Balasubramanian (Criminal Appeal No 123 of 2021** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि "The Statute mandates that once the signature(s) of an accused on the cheque/negotiable instrument are established, then these reverse onus clauses become operative."

15. परिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **Rangappa Vs Sri Mohan 2010 CCC 115 (SC)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि the position of a law which emerges is that once execution of the promissory note is admitted, the presumption under Section 118a would arise that it is supported by a

consideration. Such a presumption is rebuttable. The defendent can prove the non-existence of a consideration by raising a probable defence. उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों पर चस्पा होता है व अभियुक्त पक्ष को परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणाओं का खण्डन युक्तियुक्त बचाव पेश करना होता है।

16. अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का खण्डन कर पाने में सफल रहा है अथवा नहीं। अभियुक्त ने बचाव पक्ष में कई प्रकार के बिंदु उठाये हैं, जिनका समग्र रूप से विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा रहा है।

17. गवाह डी.डब्ल्यू. 1 अभियुक्त रामकुमार ने अपने न्यायालयीन बयानों में कथन किये हैं कि उसने दिनांक 19.07.2018 को राजपाल से उसके घर पर 18000 रुपये लिये थे। उक्त रुपये देते समय मोहनलाल मौजूद था। राजपाल रावतसर में फाइनेंस का काम करता है। उसने उसके गांव के 15–20 और लोगों को भी 10 रुपये प्रति सैंकड़ा के हिसाब से रुपये उधार दे रखे हैं और राजपाल ने उसे एक लाल डायरी दी थी जो कि प्रदर्श डी01 है। रुपये फाइनेंस पर देने के बदले में राजपाल दो खाली हस्ताक्षर किये हुए चैक, एक प्रनोट व 100 रुपये का स्टाम्प लेता है। जो उससे भी लिये गए थे। उक्त रुपये उसने 200 रुपये रोजाना किश्त पर देने के हिसाब से लिये थे और उसने 200–200 रुपये रोजाना के हिसाब से 12000 रुपये परिवादी को लौटा दिये काम मंदा होने की वजह से 200 रुपये प्रतिदिन नहीं लौटा पाया तो इनके पास पड़े खाली पड़े चैक में 4,70,000/– रुपये भरकर उसके खाते में उससे बिना पूछे लगा दिया। राजपाल का पूरा परिवार फाइनेंस का काम करता है। राजपाल ने उसके गावं के अन्य 20–23 लोगों के खिलाफ चैक अनादरण के मुकदमे कर रखे हैं। अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी1 पेश कर प्रदर्शित करवाये।

18. उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह परिवादी राजपाल को जानता है। उसका राजपाल के साथ कोई खास आना जाना नहीं है, किंतु उसे रुपयों की आवश्यकता थी, इसलिए वह राजपाल के पास गया था। यह सही है कि प्रदर्श पी3 उसके खाते का है एवं उस पर ए से बी हस्ताक्षर उसके हैं। यह सही है कि प्रदर्श पी1 प्रोमसरी नोट व प्रदर्श पी 7 ए.डी. पर हस्ताक्षर उसके हैं। उसने प्रदर्श पी 5 नोटिस का कोई जवाब नहीं भेजा साथ ही प्रदर्श डी1 पर ऐसा कोई अंकन नहीं है जिससे यह दृष्टिगत होता हो कि उक्त प्रदर्श के तहत रुपयों का लेनदेन हुआ हो। प्रदर्श डी1 डायरी पर उसका नाम व पता अंकित नहीं है। परिवादी के अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हों ऐसा कोई लिखित दस्तावेज या परिवादों की प्रमाणित प्रति या फोटोप्रति उसने पत्रावली पर पेश नहीं की है। उसने परिवादी के विरुद्ध कोई फौजदारी कार्यवाही नहीं की है। यह सही है कि परिवादी के पास कृषि भूमि है।

19. अभियुक्त की ओर से परीक्षित अन्य गवाह डी.डब्ल्यू. 2 मोहनलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र दिनांकित 04–04–2025 पेश कर कथन किये हैं कि वह रामकुमार के साथ परिवादी के घर जामिन बनकर गया था तब रामकुमार को परिवादी ने 18,000/– रुपये उधार दिये थे जो कि 100 दिनों में 200रु प्रतिदिन के हिसाब से लौटाने थे, जिसके बदले में सिक्योरिटी पेटे दो खाली चैक हस्ताक्षर करवाकर परिवादी ने अभियुक्त रामकुमार से प्राप्त किये थे एवं एक लाल डायरी परिवादी ने रामकुमार को दी थी।

अभियुक्त रामकुमार ने 100 दिनों में प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से परिवादी राजपाल को कुल 20 हजार रुपये वापस लौटा दिये। सिक्योरिटी पेटे दिये गये चैक का परिवादी राजपाल ने दुरुपयोग किया है।

20. उक्त गवाह ने दौराने प्रतिपरीक्षण कथन किये हैं कि उसके द्वारा जामिन बनकर रामकुमार को परिवादी राजपाल से दिलवाये गये समस्त पैसे मुल्जिम रामकुमार द्वारा परिवादी राजपाल को दे दिये गए। फिर खुद कहा कि 18000 रुपये परिवादी ने अभियुक्त को दिये थे और बीस हजार रुपये लिये थे तथा सिक्योरिटी पेटे परिवादी ने अभियुक्त को एक छोटी लाल डायरी दी थी। यह बात सही है कि प्रदर्श डी1 में परिवादी राजपाल द्वारा अभियुक्त रामकुमार को 3पये रुपये देने का अंकन नहीं है।

21. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मुख्यतः यह बचाव पेश किया गया है कि उसके द्वारा परिवादी से केवल 18,000/– रुपये उधार लिये गए थे, जिसके बदले में अभियुक्त ने परिवादी को 2 खाली हस्ताक्षर किये हुए चैक, एक प्रोमेसरी नोट व एक 1,000/– रुपये का स्टाम्प दिया। उक्त राशि के एवज में अभियुक्त द्वारा 20,000/– रुपये वापस दिये जाने थे, जिसमें से 12,000/– रुपये उसके द्वारा वापस दे दिये गए हैं। परंतु परिवादी ने खाली चैक पर 4,70,000/– रुपये भरकर उससे बिना पूछे बैंक में लगाकर उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा कर दिया है।

22. यदि अभियुक्त का यह कथन मान लिया जाये कि चैक सिक्योरिटी पेटे दिया गया था तो इस सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Sripati Singh (D) Versus State of Jharkhand LL 2021 SC 606** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किः–

"If in a transaction a loan is advanced and the borrower agrees to repay the amount in a specified time frame and issues a cheque as security to secure such repayment; if the loan amount is not repaid in any other form before the due date or if there is no other understanding or agreement between the parties to defer the payment of amount, the cheque which is issued as security would mature for presentation and the drawee of the cheque would be entitled to present the same. On such presentation, if the same is dishonoured, the consequences contemplated under Section 138 and the other provisions of N.I. Act would flow".

अतः सिक्योरिटी पेटे दिया गया चैक भी धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की परिधि में आयेगा।

23. परिवादी ने कथन किये हैं कि अभियुक्त ने उसे ऋण अदायगी हेतु विवादित चैक प्रदर्श पी 3 में 4,70,000/– की राशि भरकर व हस्ताक्षर करके दिया है। जिसके समर्थन में उसके द्वारा प्रदर्श पी 1 प्रोमसरी नोट व प्रदर्श पी 3 चैक पेश किया गया है। जिन पर राशि 4,70,000 रुपये अंकित हैं एवं अभियुक्त ने उक्त प्रदर्श पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने कथन किया है कि उसके द्वारा केवल मात्र 18,000/– रुपये परिवादी से उधार लिए गए थे, न कि चैक में वर्णित राशि 4,70,000/– रुपये। ऐसे में यह साबित करने का भार भी अभियुक्त पर ही है कि केवल

मात्र 18,000/– रुपये उधार लिये गए थे। जिसके समर्थन में अभियुक्त द्वारा प्रदर्श डी 1 लाल डायरी पेश की गई है। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त का अपने न्यायालयीन बयानों में कथन रहा है कि प्रदर्श डी1, जिसकी इबारत में राजपाल के मोबाइल नम्बर 9602585521 व नीचे हस्ताक्षर राजपाल बैनीवाल लिखा है। दूसरे पृष्ठ पर 18/20 बटे 100 दिनांक 19.07 लिखकर डायरी उसे दी। 18/20 का अर्थ है 18000 रुपये दिये व 20000 रुपये लेने है तथा बटे 100 का मतलब 100 दिन में लेने हैं। प्रदर्श डी 1 का अवलोकन किया जावे तो उस पर न तो अभियुक्त के नाम का अंकन है ना ही राशि 18,000/– रुपये या 20,000/– रुपये का अंकन है। उक्त तथ्य को अभियुक्त व गवाह डी.डब्ल्यू. 2 मोहनलाल ने भी दौराने प्रतिपरीक्षण स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने अपने न्यायालयीन बयानों में प्रदर्श डी 1 अपने द्वारा न लिखे जाने बाबत् कथन किये हैं। ऐसे में बचाव पक्ष उक्त दस्तावेज की हस्तगत प्रकरण के संव्यवहार के साथ संगति स्थापित नहीं कर पाया है। प्रदर्श डी 1 के अलावा अभियुक्त द्वारा अपने बवाच में वर्णित उधार रााशि को साबित करने के लिए कोई अन्य लिखा पढ़ी पेश नहीं की गई है।

24. अभियुक्त ने अपने न्यायालयीन बयानों में कथन किया है कि उसको परिवादी द्वारा रुपये 20,000/– दिये गए थे, जिनमें से 12,000/– रुपये उसने परिवादी को वापस लौटा दिये। इस सम्बन्ध में गवाह डी.डब्ल्यू. 2 मोहनलाल की ओर से मुख्य परीक्षा बाबत् प्रस्तुत शपथ पत्र को देखें तो उसके द्वारा कथन किये गए हैं कि अभियुक्त रामकुमार ने 100 दिनों में प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से परिवादी राजपाल को कुल 20,000/– रुपये वापस लौटा दिये हैं। ऐसे में बचाव पक्ष के गवाहान द्वारा परिवादी को राशि वापस लौटाये जाने के सम्बन्ध में विरोधाभासी कथन किये हैं। अभियुक्त ने परिवादी को कोई राशि अदा की हो इस बाबत् कोई लिखापढ़ी या अन्य साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अभियुक्त यह साबित करने में असफल रहा है कि उसके द्वारा परिवादी से मात्र 18,000/– रुपये उधार लिये गए थे, जिस पर उसके द्वारा 20,000/– रुपये ही परिवादी को वापस दिये जाने थे।

25. अभियुक्त का यह कथना रहा है कि उसके द्वारा सिक्योरिटी पेटे दिये गए चैक पर अधिक राशि भरकर चैक लगाकर उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र मत है कि केवल मात्र अपेन धारा 313 सी.आर.पी.सी. के बयानों में या अपनी साक्ष्य में यह अंकित करने से कि उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा किया गया है, पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध सृजित उपधारणा का खण्डन किया जाना आवश्यक है। यदि परिवादी द्वारा चैक का दुरुपयोग किया गया है तो इस सम्बन्ध में अभियुक्त ने परिवादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त द्वारा अपना बचाव रखते हुए प्रदर्श पी 5 नोटिस का कोई जवाब परिवादी को भेजा गया हो, ऐसी कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं हैं। ऐसे में, अभियुक्त द्वारा नोटिस के जवाब में कोई बचाव न लेना भी परिवादी के कथनों को ही बल प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में परिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **Uttam Ram vs Devinder Singh Hudan & Anr. Cri. Appeal No. 1545 of 2019** जिसमें यह अवधारित किया गया है कि mere denial of existence of debt will not serve any purpose but accused may adduce evidence to rebut the presumption.

26. इस प्रकार अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की ठोस मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से उसके विरूद्व उत्पन्न उपधारणाओं को खण्डित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त उपधारणाएं पूर्ण रूप से अखण्डित रही है। अतः परिवादी के बयानों तथा परिवादी के पक्ष में की गई उपधाराणों से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष निर्विवादित रूप से साबित हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चैक संख्या 000007 राशि 4,70,000/–रूपये दिनांकित 09.03.2020 वैध ऋण/दायित्व के भुगतान स्वरूप परिवादी को दिया गया था।

27. बिन्दु सं0 02– क्या हस्तगत मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों की पूर्णतः पालना हुई है ?

उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में परिवाद, परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि प्रश्नगत प्रदर्श पी 3 चैक संख्या 000007 राशि 4,70,000/–रूपये दिनांकित 09.03.2020 परिवादी के द्वारा अपने बैंक में विहित समयावधि में दिनांक 21.03.2020 को पेश किया गया और उक्त चैक बैंक द्वारा "Dormant ISF" के पृष्ठांकन के साथ अनादरित कर दिनांक 23.03.2020 को परिवादी को लौटा दिया। अनादरण की सूचना के पश्चात परिवादी को 30 दिन के भीतर अभियुक्त को रजिस्टर्ड सूचना पत्र भेजना था, जिसके सम्बन्ध में परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से चैक अनादरण का सूचना पत्र प्रदर्श पी 05 दिनांकित 15.04.2020 को जरिए पंजीकृत डाक अभियुक्त के वर्तमान सही ज्ञात पते पर प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **C.C. Alavi Haji Vs. Palapetty Muhammed & Anr 2007 AIR SCW 3578** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "When the notice is sent by correctly addresses the drawer of the cheque, the mandatory requirements of issue of notice in terms of clause (b) of provision to section 138 of the Act stands complied with." उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो चुका है, जिसकी ताईद प्रदर्श पी7 से होती है। जिस पर अभियुक्त ने स्वयं के हस्ताक्षर होना दौराने प्रतिपरीक्षण स्वीकार किया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त को रजिस्टर्ड सूचना पत्र की जानकारी के बाद नोटिस के 15 दिन तथा तत्पश्चात 30 दिन में न्यायालय में परिवाद पेश करना था। जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा In Re. Cognizance for extension of limitation Suo Moto Writ Petition no. 3/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2022 में यह निर्देशित किया गया है कि the period from 15.03.2020 till 28.02.2022 shall stand excluded for the purposes of limitation as may be prescribed under any general or special laws in respect of all judicial or quasi judicial proceedings. हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा दिनांक 30.06.2020 को न्यायालय में परिवाद पेश किया गया।

28. बिन्दु सं0 3– क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया?

उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी ने अपने परिवाद एवं साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि अभियुक्त के द्वारा हस्तगत चैक के सम्बन्ध में 4,70,000/–रूपये की राशि का भुगतान परिवादी को परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व नहीं किया गया है साथ ही

बचाव पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सुसंगत एवं ठोस मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर पेश नहीं की गई है जो यह साबित करती हो कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक में वर्णित राशि का भुगतान अंशतः या पूर्णतः कर दिया गया हो।

29. इस प्रकार परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष संदेह से परे यह साबित कर दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसे हस्तगत चैक विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे दिये गये थे, जो बैंक द्वारा Account Dormant होने के कारण अनादरित कर परिवादी को लौटा दिये गये तथा अभियुक्त द्वारा परिवादी को उक्त चैक के पेटे कोई राशि अदा नहीं की गई। अतः न्यायालय के मत में अभियुक्त धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

30. अतः अभियुक्त रामकुमार पुत्र लालचन्द, निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

(विधिका आर्य)

31. सजा के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाये जाने का निवेदन किया, जबकि विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित किये जाने तथा परिवादी को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन कर संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार इस प्रकरण में अभियुक्त ने चैक अनादरण की सूचना होने के बावजूद भी चैक राशि का भुगतान परिवादी को न कर आपराधिक कृत्य किया है। वर्तमान समय आर्थिक व वाणिज्यिक युग है, जिसमें अधिकांश लेन–देन चैक के माध्यम से ही होता है। ऐसे में लेन–देन के संव्यवहार की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि चैक जारी किये जाते समय यह प्रथम दायित्व रहता है कि उसके द्वारा जारी किया गया चैक विहित अवधि में आदरित हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

दंडादेश

32. फलतः अभियुक्त रामकुमार पुत्र लालचन्द, निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ को परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध में दोषी पाये जाने पर **2 वर्ष के साधारण कारावास** से दंडित किया जाता है तथा धारा 397 बी.एन.एस.एस. (357(3) द.प्र.सं) के प्रावधानों के तहत अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी को **5,50,000/– रूपये (अखरे पांच लाख पचास हजार रूपये मात्र)** प्रतिकर के रूप में अदा करेगा जो राशि न्यायालय में जमा होने पर बाद गुजरने

मियाद अपील नियमानुसार परिवादी को अदा की जायेगी। उक्त प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त **एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास** भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि (यदि हो) मूल सजा में समायोजित की जाये निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जाये।

33. अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जाये, जिस पर अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में भुगती गई पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि (यदि हो) की गणना कर उक्त अवधि धारा 468 बी.एन.एस.एस. (428 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत मूल सजा से मुजरा किये जाने का नोट अंकित किया जावे। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जावे।

(विधिका आर्य)

34. निर्णय आज दिनांक **08.07.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

"Authenticated Document"
Digitally signed by AMAR SINGH
Date: 2026.07.09 10:19:28 +0530

(विधिका आर्य)